बिहार सरकार

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

बिहार, पटना

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या	75/13–14
(1) परिचयात्मक	
(क) अंकेक्षित लेखा का नाम –	**:– जिला नजारत कार्यालय, सासाराम, जिला– रोहतास।**
(ख) अंकेक्षण का लेखा अवधिः–	**वर्ष 2011–12**
(ग) प्रशासी विभाग का नामः–	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।
(घ) अंकेक्षित अवधि के लेखा प्रभारी पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल :–	(i) श्री अनुप कुमार, भा0 प्र0 सेवा, जिला पदाधिकारी, रोहतास, दि० 04.08.2009 से 15.01.2013 तक (ii) श्री अंजनी कुमार, वि0प्र0 सेवा, नजारत उप समाहर्ता, दिनांक – 27.4.2010 से 22.6.2011 तक (iii) श्री चौधरी अनंत नारायण, वि0प्र0 सेवा, नजारत उप समाहर्ता, दिनांक–22.6.2011 से 14.09.2011 तक (iv) श्री शिव रंजन, वि0प्र0 सेवा, नजारत उप

समाहर्ता, दिनांक – 14.09.11 से अद्यतन

(v) श्री शिव प्रकाश वर्मा, प्रधान लिपिक सह रोकड़ पाल, दिनांक – 1.8.09 से 18.11.2011 तक

(vi) श्री कंचन चौधरी, प्रधान लिपिक सह रोकड़ पाल, दिनांक – 18.11.2011 से अद्यतन।

(vii) श्री प्रमोद कुमार, जिला आपूर्ति पदा0 सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (आपूर्ति स्थापना) दिनांक – 01.04.2011 से 07.08.2011 तक

(viii) श्री मो0 सलीम अख्तर, जिला आपूर्ति पदा0 सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (आपूर्ति स्थापना) दिनांक – 07.08.2011 से अद्यतन।

(ix) श्री महर्षि राम, उप समाहर्त्ता (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राजस्व) दिनांक – 01.04.2011 से 17. 04.2013 तक।

(x) श्री चौधरी अन्नत नारायण, उपर समाहर्त्ता

(निकासी एवं व्ययन पदा0 एन0आर0ई0पी0 2505)

दिनांक – 01.04.2011 से 17.04.2013 तक।

(ड़) अंकेक्षित अवधि के नियंत्री पदाधिकारी का नाम पदनाम एवं कार्यकाल :–

(i) श्री के0 पी0 रमैय्या, आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना

दिनांक – 11.02.11 से 03.09.2012 तक

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले पदाधिकारी / कर्मचारी का नाम पदनाम:–

(i) श्री कंचन चौधरी, प्रधान लिपिक सह रोकड़ पाल

(छ) वरीय अंकेक्षकों के नाम:–

(1) श्री अरविन्द कुमार सिंह, व0अं0–2

(2) श्री चौधरी शम्भुनाथ राय, व0अं0–2

(ज) अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि :– 20.06.2013

(झ) अंकेक्षण समाप्ति तिथि :– 30.09.2013

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस :–	38 $\frac{1}{3}$ दिन औसतन
(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची:–	**अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।**

(2) अंकेक्षण का क्षेत्र :–

(i) अंकेक्षण का प्रकार :–	**सामान्य अंकेक्षण।**
(ii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग का आदेश संख्या एवं तिथि :–	मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या 234 दिनांक – 12.03.13 एवं विभागीय ज्ञापांक–3286 दिनांक–15.09.1960

(iii) कार्यालय का कार्यक्षेत्र :– जिला स्तर पर विधि व्यवस्था, विभिन्न कल्याण कारी योजनाओं का अनुश्रवण करना, राजस्व, भूमि विवाद का निवटारा जन वितरण प्रणाली की देखरेख तथा निर्वाचन कार्य का निष्पादन एवं जिला स्थापना से संबंधित सभी शीर्षो में आवंटित राशि की निकासी कर उसका व्यय करना।

(iv) वित्तीय स्त्रोत :– (क) आवंटन के विरूद्ध निकासी।

(ङ.) कोषागार अभिलेख से सत्यापन की स्थिति – कोषागार सत्यापन शत् प्रतिशत् किया गया।

(च) महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति :– महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदन और उसके अनुपालन के संबंध में अंकेक्षण दल द्वारा मांग के बावजूद कार्यालय द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई। फलतः अनुपालन से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी।

(छ) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थितिः– वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदन अंकेक्षण के मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया फलतः पूर्व के अनुपालन की वास्तु स्थिति की जानकारी नहीं हो सकी।

(3) वित्तीय समीक्षा

(i) आवंटन की स्थिति में – क्या आवंटन से अधिक की निकासी की गई हैं:– नहीं, आवंटन एवं व्यय विवरणी परिशिष्ट "ख" पर अंकित है। आवंटन – व्यय विवरणी से ज्ञात होता है कि शीर्ष 2053 से रूपये 2,40,61,854 शीर्ष 3456 से रू0 8,54,181.00 शीर्ष 2029 से रूपये 636130.00 तथा शीर्ष 2505 से रूपये 2661722.00 का प्रत्यार्पण किया गया था, जिससे स्पष्ट होता है कि बजट का निर्माण सही ढंग से नहीं किया गया अगर बजट का निर्माण सही ढंग

से किया जाता तो इतनी बड़ी राशि का प्रत्यर्पण की स्थिति नहीं आती अतः प्रशासी विभाग का इस ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(ii) अनुदान की स्थिति में :– क्या अनुदान से अधिक राशि का व्यय किया गया। – नहीं

(iii) प्राप्त अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को प्रेषित किया गया था – अनुदान अप्राप्त का स्थिति में प्रश्न ही नहीं उठता।

(iv) रोकड़ पंजी में संवरण शेष के नगद राशि का भौतिक सत्यापन की स्थिति :– सामान्य रोकड़ पंजी के संवरण शेष का मदवार विवरणी अंकित किया गया था, जो अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि दिनांक 20.06.2013 को रूपये 4,53,81,842.67 पाया गया जिसका भौतिक सत्यापन किया गया जिसका विवरणी निम्न प्रकार है :–

1	बैंक में	3,28,11,246.33
2	अभिश्रव में	38,55,838.83
3	टग्रिम	86,48,151.70
4	बैंक ड्राफ्ट	23,136.00
5	च्चेक	200.00

6	एन0 एस0 सी0	20,000.00
7	नगद	23,267.81
	योग :–	4,53,81,842.67

जिसमें बैंक में दिखाये गये रूपये 3,28,11,246.33 के जाँच क्रम में बैंक वार दिनांक 20.6.13 को जमा इस प्रकार पाई गई :–

1	भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सासाराम, लेखा सं0 – 11133930239 –	17,84,740.27
2	भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सासाराम, लेखा सं0 – 11133930499 –	3,18,95,434.65
		3,36,79,904.92

इस प्रकार 3,36,79904.92 – 32811246.33 = 868658.59 बैंक में अधिक पाई गई क्योंकि रूपये 868658.59 का निर्गत चेक को बैंक द्वारा भुगतान नहीं हो पाया था। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

1	चेक से 315124 / 9.11.08	3,00,000.00
2	चेक से 529373 / 05.05.2012	63,900.00
3	चेक से 529369 / 05.05.2012	502500.00
4	चेक से 353618 / 30.5.13	1558.00
5	चेक से 529486 / 24.09.2012	128.00
6	चेक से 009118 / 30.05.2013	572.00
		8,68,658.59

तथा नगद राशि रूपये 23,267.81 का विस्तृत विवरण सामान्य रोकड़ पुस्त में निम्न प्रकार र्दज किया पाया गया :–

रूपये 100 × 200	= 20,000.00
रूपये 50 × 60	= 3000.00
रूपये 10 × 26	= 260.00

रूपये 1 × 9	= 9.00
पैसे 50 × 1	= 0.50
पैसे 10 × 3	= 0.30
पैसे 1 × 1	= 0.01
योग	23,269.81

(v) रोकड़ पुस्त के संवरण शेष की स्थिति :– वर्ष 2011–12 के प्रारम्भण एवं अंतिम रोकड़ शेष की शीर्षवार विवरणी परिशिष्ट "ग" पर दर्शाया गया है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विभिन्न शीर्ष के अन्तर्गत आवंटन के विरूद्ध व्यय की प्रत्याशा में निकासी की गई राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक व्यय नहीं किया गया था। फलस्वरूप रोकड़ शेष के रूप में एक बड़ी राशि पड़ी पाई गई जो बिहार वितीय नियमावली के नियम – 13 एवं कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 300 के विरूद्ध है।

सामान्य रोकड पुस्त में दिनांक – 01.04.2011 को प्रारम्भण रोकड़ की राशि 4,35,63,977.96 दर्शाया गया था। जिसका विवरण निम्न प्रकार था।

1	बैंक खाता में रूपये –	3,15,12,560.62
2	अभिश्रव रूपये –	4585671.85
3	अग्रिम रूपये –	7363711.70
4	बैंक ड्राप्ट रूपये –	23136.00
5	चेक रूपये –	200.00
6	एन. एस. सी. रूपये –	20000.00
7	सिंगल लॉक रूपये –	58697.81
	योग –	4,35,63,977.96

4. अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत / कार्यरत / रिक्त पदों का विवरण –

अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत / कार्यरत / रिक्त पदों की विवरण परिशिष्ट "घ" पर अंकित है।

भाग – 2

5. रू0 – 9000.00 पेशाकर की क्षति राशि वसूली योग्य :–

शीर्ष 2053, 2029, 3456 के वेतन भुगतान पंजी सहायक रोकड़ पुस्त एवं आय कर अनुसूचि तथा वेतन विवरणी के मिलान एवं जाँच में पाया गया कि कुछ कर्मचारियों के वेतन से सेवाकर की कटौती नहीं की गई है। नहीं आयकर अनुसूचि एवं वेतन विवरणी में पेशाकर कटौती की प्रविष्टि पाई गई। विवरणी परिशिष्ट "ड" पर संलग्न है:–

चूँकि बिहार सरकार वाणिज्य कर विभाग के पत्रांक बिक्रिकर / अन्य कर 4/2011–1930 पटना दिनांक 7.5.12 एवं बिहार गजट संख्या 494 दिनांक 6 सितम्बर 2011 के आलोक में :–

1. रूपये 3 लाख से कम आय पर शून्य (2) 3 लाख से उपर 5 लाख तक – 1000/– वार्षिक, (3) 5 लाख से 10 लाख तक आय पर 2000/– वार्षिक, (4) 10 लाख से उपर आयकर 2500/– वार्षिक, सेवा कर की कटौती की जानी है। यह कटौती सितम्बर माह में किये जाने का प्रावधान है। जमा नहीं करने की स्थिति में फरवरी माह से कटौती की जानी है। पत्र की धारा – 4 के अनुसार

नहीं करने की स्थिति में प्रतिमाह 100/– शास्ति अधिरोपित करने का प्रावधान है। जो नियोजक द्वारा किया जायेगा।

अतः संबंधित कर्मचारियों से वर्ष 2011–12 में सेवा कर की कटौती नहीं की गई, राशि 9000.00 वसूल की जाए एवं उपरोक्त नियम के धारा – 4 के अनुसार 100/– प्रतिमाह शारित अधिरोपित किया जाए। तथा किए गये कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को अवगत कराई जाए।

06 . रू0 9100.00 भोजन मद में दोहरा, अनियमित भुगतान वसूली योग्य :–

शीर्ष 2053 के संचिका 2 (ड़) एवं अभिश्रव के जाँच में पाया गया कि सरकार के संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1390 दिनांक 14.10.11 के आलोक में जिला पदाधिकारी सासाराम के आदेश संख्या 5390 / गो0 दिनांक 13.11.11 के आलोक में विपत्र सं0 269/2011–12 शीर्ष 2053 मद से रूपये 529303.00 का व्यय दिनांक 8.3.12 को दिखाया गया था। संबंधित संचिका एवं अभिश्रव के अवलोकन में पाया गया कि जिला पदाधिकारी, रोहतास के आदेशानुसार कुशवाहा भवन में सुरक्षाकर्मी ड्राईवरों के ठहरने , चाय , नास्ता एवं भोजन के लिए मे0 जय राम केहर को व्यवस्था करनी थी जिसका अभिश्रव सं. 19, 20, 21, 22, 23 के द्वारा दिनांक 20.12.11 से 24.12.11 तक आपूर्ति की गई थी। जिसका भुगतान क्रमशः रूपये 4410+30720+47700+36600+20250 कुल रू0 139680.00 का चेक संख्या 529259 दिनांक 6.3.12 द्वारा किया गया था।

जबकि जाँच में पाया गया कि मे0 पाल केटटर, डालमिया नगर, रोहतास, प्रो0 रामजी पाल द्वारा भी दिनांक 23.12.11 को अभिश्रव सं0 26 द्वारा सुरक्षाकर्मी को भोजन पैकेट 70 × 130 की दर से रूपये 9100.00 का भुगतान अभिश्रव में सम्मलित कर रूपये 20,000.00 का भुगतान दिनांक 8.3.12 को किया गया जो कि दोहरा आपूर्ति दिखाकर अभिश्रव में दावा किया गया है।

अनुपालन में मुख्य मंत्री के साथ 40 सुरक्षा कर्मी की पुष्टि की गई है। जबकि मे0 पाल केटटर द्वारा 70 सुरक्षा कर्मी को आपूर्ति की गई तथा मे0 जय राम केटटर द्वारा रू0 139680.00 की भोजन आपूर्ति दिखाई गई जिसकी संख्या अप्राप्त है। जो संतोषजन नहीं है।

अतः सुरक्षाकर्मी पर दिनांक 23.11.12 को मे0 पाल केटटर द्वारा आपूर्ति की गई 70 × 130 = 9100.00 का भोजन पैकेट दोहरा प्रतित होती है। उसे संबंधित एवं जबाबदेह व्यक्ति से वसूल कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग, को सूचित किया जाय।

7. रू0 – 5100.00 गाड़ी नहीं चलने के उपरांत भी भुगतान की गई राशि वसूली योग्य :–

शीर्ष 2053 कार्यालय, व्यय के अभिश्रव के जाँच में पाया कि मुख्य मंत्री के भ्रमण के दौरान दिनांक 21.12.11 से 24.12.11 तक कुल 4 दिन के लिए 17 गाड़ी को में0 संजीव कुमार टूर एण्ड ट्रेभल्स सासाराम से गाड़ी उनके स्वागत् में @ 1275/– की दर में भाड़े पर ली गई थी। जिसका भुगतान विपत्र सं0 274/2011–12 के सम्भावित राशि द्वारा रूपये 5100.00 दिनांक 8.3.12 को किया गया था।

अभिश्रव की जाँच में पाया गया कि गाड़ी सं0 – BR 26 ई0/ 1419 भ्रमण के दौरान गाड़ी खड़ी रही उसमें 20 ली0 ईंधन @ 4371/– की दर रूपये 874.00 की आपूर्ति की गई। लेकिन गाड़ी खड़ी रहने के कारण चार दिनों में एक दिन भी एक कि0 मी0 गाड़ी नहीं चली। फिर भी @ 1275 × 4 = 5100.00 का भुगतान ईंधन की किमत को समायोजित करते हुए 5100–874 = 4226.00 का भुगतान किया गया। इस प्रकार कुल रूपये 4226+874 इंधन का = 5100.00 का भुगतान किया गया जो अनियमित एवं लापरवाही का घोतक है।

अनुपालन में बताया गया कि प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं विधि व्यवस्था के मददेनजर कुछ वाहनों को Stand by में रखा गया। जो संतोषजन नहीं है। क्या कार्यालय के पास वाहन नहीं है। जिसे Stand by रखा जा सकें।

चूँकि गाड़ी एक दिन भी नहीं चली तो उसे भुगतान करने का कोई औचित्य नहीं है। अगर गाड़ी की आवश्यकता नहीं थी तो उसे वापस क्यों नहीं की गई परन्तु कार्यालय द्वारा सेवा न

कर उसे @ 1275/– की दर से 4 दिनों का 5100.00 भुगतान कर दिया जो अनियमित/ लापरवाही / फिजूल खर्ची है। अतः सक्षम पदाधिकारी द्वारा जाँचोपरान्त अनुपालन प्रेषित किया जाए एवं फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत करायी जाय। विवरणी निम्न प्रकार है :–

गाडी सं0	विपत्र सं0	अभिश्रव सं0	फर्म का नाम	अवधि	दूरी	ईंधन आपूर्ति	खपत	किराया	भुगतान तिथि
BR 26 E 1419	186/ 2011–12	9	मे0 संजीव कुमार टूर एण्ड ट्रेभल्स सासाराम	21.12.11 से 24.12.11 तक 4 दिन	0.00	20 ली0 × 43.71 = 874/–	0	1275 × 4= 5100–874 = 4226.00	8.3.12

08. साक्ष्य के अभाव में यात्रा पर व्यय रूपये 1784.00 वसूली योग्य :–

शीर्ष 2053 यात्रा भत्ता विपत्र के कार्यालय प्रति, रोकड़ पुस्त की जाँच में पाया कि श्री शिवरंजन, वरीय उप समाहर्त्ता, सासाराम के द्वारा दिनांक 7.6.11 से 10.06.11 तक पटना से दिल्ली की यात्रा की गई थी। जिसका दावे की भुगतान विपत्र सं0 244/2011–12 के द्वारा दिनांक 17.02.12 को रूपये 10968.00 का भुगतान किया गया था। इनके द्वारा रेल वातानुकुलित से यात्रा किया गया जिसका पी0 एन0 आर न0 57471090 के द्वारा दिनांक 7.6.11 के पटना से दिल्ली यात्रा की गई थी। जिसका भाड़ा 944.00 दावा की गई थी। उसी प्रकार दिनांक 10.6.11 को नई दिल्ली से वापसी यात्रा वातानुकुलित दिखाया गया जिसका पी0 एन0 आर0 न0 या टिकट की छाया प्रति संलग्न नहीं परन्तु रू0 944.00 का दावा किया गया था। इनके द्वारा दिनांक 8.6.11 से 10.6.11 तक तीन दिन होटल दीप पैलेश, नई दिल्ली में ठहरने का दावा रूपये 8600.00 का किया गया परन्तु सर्किट हाउस या बिहार भवन का एन0 ओ0 सी0 उपलब्ध नहीं कराया गया। साथ ही 8.6.11 से 10.6.11 तक ओटो रिक्सा का दावा रूपये 480.00 का किया गया लेकिन ओटो रिक्सा कहॉ से कहॉ कितने किलोमीटर चली इसका प्रमाण या ओटो रिक्सा का अभिश्रव संलग्न नहीं पाया गया। जो बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के नियम 57, 69 (i) के टिप्पणी iii, vii के प्रतिकूल है।

अनुपालन में सिर्फ जिला पदा0 का कार्यालय आदेश तथा होटल दीप पैलेश दिल्ली का अभिश्रव एवं पटना से दिल्ली का टिकट प्रस्तुत किया गया परन्तु दिल्ली से पटना आने का टिकट या ओटो का अभिश्रव तथा सासाराम से पटना आने या सासाराम आने

सासाराम जाने का साधन का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। नहीं यात्रा का भ्रमण–डायरी प्रस्तुत की गई।

अतः यात्रा पर व्यय की दावा की राशि 944 रूपये दिल्ली से पटना आने का तथा रूपये 480.00 ओटो भाड़ा का दावा आदेश करते हुए कुल रूपये 1784.00 वसूल की जाए क्योकि दिल्ली से पटना का रेल वातानुकूलित टिकट नहीं था तथा ओटो भाड़ा का अभिश्रव से संलग्न नहीं था। तथा किए गए कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराई जाए।

9. रू0 600.00 यात्रा भत्ता की राशि वसूली योग्य :–

शीर्ष 2053 वर्ष 2011–12 के यात्रा भत्ता के कार्यालय प्रति, दैनन्दिनी, यात्रा भत्ता भुगतान पंजी, रोकड़ पुस्त के जाँच में पाया गया कि श्री भवानी प्रसाद, अपर समाहर्त्ता, भूहदवंदी सासाराम द्वारा सरकारी वाहन संख्या बी0आर0 – 24 बी / 5902 द्वारा सरकारी कार्य एवं निर्वाचन कार्य (पंचायत) आम चुनाव 2011 हेतु सासाराम से पटना की यात्रा विभिन्न तिथियों में 12 दिन का @ 300/– की दर से किया गया था तथा सासाराम से दिनारा, काराकाट, तथा स्थानीय सासाराम क्षेत्र में 6 दिन भ्रमण किया जिसका दवा @ 300/– की दर से किया गया था। दिखाये गये भ्रमण में दिनारा, काराकाट, तथा सासाराम अनुमण्डल क्षेत्र की दैनिक भत्ता का

ब्यौरा दिया गया था जो देय नहीं है तथा इसका भुगतान 2053 मद से न कर 2015 निर्वाचन मद से किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार श्री प्रसाद को 12 दिन का दैनिक भत्ता @ 300/- देय करते हुए 3600.00 तथा 6 दिन @ 200/- की दर से देय करते हुए 1200.00 इस प्रकार कुल 4800.00 का दावा देय है।

अतः किये गये दावा (भुगतान किए गये) की राशि रूपये 5400-4800=600.00 अधिक भुगतान की गई राशि संबंधित एवं जबाबदेय व्यक्ति से वसूल की जाए तथा की गई कार्रवाई से अंकेक्षण दल को अवगत कराई जाए। विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	विपत्र सं0	नाम एवं पदनाम	ग्रेड पे	माह का नाम	विपत्र की राशि	दैनिक भत्ता	दर	दवा की राशि	देय राशि
1	53/ 2011-12	श्री भवानी प्रसाद अपर समाहर्ता भू हदबंदी, सासाराम	7600/-	जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई 2011	5400.00	18 दिन	300	5400.00	4800.00

								अन्तर राशि	600.00
								भुगतान तिथि	22.6.11

कंडिका 10. रू0 536003.75 के ईधन जेनरेटर मद पर व्यय आपत्ति अर्न्तगत :–

शीर्ष 2053 जिला प्रशासन के वाहन एवं इंधन मद के अभिश्रवों के जाँच में पाया गया कि मे0 गोल्डेन पेट्रोल सर्विस सासाराम के द्वारा जिला नजारत सासाराम को डिजल आपूर्ति विभिन्न तिथियों को की गई थी, जिसे विपत्र सं0 – 236/2011–12 जिला प्रशासन से रूपये 6,11,427.00 एवं विपत्र सं0 237/2011–2012 भू राजस्व से रूपये 8,26,838.00 कुल रूपये 14,38,265.00 की निकासी की गई थी। जिसका आवंटन वाहन एवं ईधन एवं रख रखाव मद में रूपये 3960000.00 आवंटन प्राप्त था जिसमें से 1683119.00 रूपये व्यय दिखाया गया था। जिसमें रूपये 536003.75 का व्यय सिर्फ जेनरेटर मद में ईधन पर व्यय किया गया था। जिसका कोई अलग से आवंटन प्राप्त नहीं था। जिसका विवरणी परिशिष्ट "च" पर संलग्न है।

लेकिन अभिश्रवों के लॉगबुक में प्रविष्टी के सत्यापन में पाया गया कि 8070 लीटर डीजल सिर्फ जिला पदाधिकारी के आवास के जेनरेटर पर ईधन व्यय किया गया था जिसका किमत रूपये 3,20,907.95 था, तथा जिला नजारत कार्यालय सासाराम के जेनरेटर पर

5360 लीटर व्यय किया गया था। जिसकी किमत 215096.60 थी, जाँच में यह भी पाया गया कि लॉगबुक पर डीजल खपत कर किसी भी पदाधिकारी / कर्मचारी का हस्ताक्षर अप्राप्त था। साथ ही डीजल क्रय से संबंधित मांग की अभियाचना पत्र भी नहीं थी। तथा किसी सक्षम पदाधिकारी या कर्मचारी का बिजली कटने या बिजली रहने के संबंध में कोई टिप्पणी, प्रमाण नहीं पाई गई। जबकि जेनरेटर चालक, मनोज कुमार तिवारी, एवं फकरूद्दीन का हस्ताक्षर अभिश्रव पर प्राप्त था। संलग्न विवरणी से स्पष्ट होता है कि करीब–करीब महीने के सभी तिथियों को जेनरेटर का परिचालन कर ईधन खपत दिखाया गया था। वह रविवार हो या राजपत्रित अवकाश/ इसके बाबजूद शिर्ष 2053 के विपत्र सं0 282/2011–12 से रूपये 288358.00 का विघुत आपूर्ति का विपत्र का भुगतान कार्यालय द्वारा दिनांक 17.3.12 को चेक संख्या 529311 / दिनांक 16.3.12 द्वारा किया गया पाया गया जो फिजूल खर्ची / लापरवाही का धोतक है।

अनुपालन में आवंटन प्राप्त नहीं होने की पुष्टि की है तथा भविष्य में इस मद में आवंटन की मांग करने की व्यवस्था की जायेगी, साथ ही गोपनीय शाखा में ईधन की खपत मनरेगा दिवस पर वाहनों में आपूर्ति की बात कहीं गई है। जो अलग है। यहाँ सिर्फ जेनरेटर आवास पर व्यय के वारे में पूछा गया जिसका कोई ठोस जबाब नहीं दी गई। जो संतोषजनक नहीं है।

अतः डीजल की आपूर्ति जेनरेटर आवास / कार्यालय पर रूपये 536003.75 विना आवंटन के वाहन एवं ईधन रख रखाव से मद का विचलन कर जेनरेटर मद में व्यय किया गया राशि आपत्तिअन्तर्गत रखी जाती है। क्योकि डीजल खपत पर किसी पदा0 का हस्ताक्षर अप्राप्त था। तथा डिजल क्रय करने की अभियाचना विघुत है या नहीं इसकी कोई प्रमाण अंकेक्षण में अप्रस्तुत रहने के कारण रू0 536003.75 आपत्ति अन्तर्गत रखी जाती तथा उच्चाधिकारियों को उक्त व्यय की जाँच एवं समीक्षा कर फिजूलखर्ची पर रोक लगाने हेतू ध्यान आकृष्ट किया जाता है। एवं किए गये कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत करायी जाय।

कंडिका 11. होटल पर व्यय रूपये 91839.00 आपत्तिअन्तर्गत :–

शीर्ष 2053 जिला प्रशासन मद के विपत्र संख्या 269/2011–2012 द्वारा रूपये 5,29,303.00 का व्यय मुख्य मंत्री के सेवा यात्रा के दौरान दिनांक 20.12.11 से 24.12.11 तक की अवधि विभिन्न फर्मो के द्वारा की गई दावा का भुगतान दिनांक 8.3.12 को किया गया था। जिसमें मंत्रियों / अधिकारियों / सुरक्षा कर्मियों के आवासन पर 91839.00 व्यय किया गया था। जिसका विवरण परिशिष्ट "छ" पर संलग्न है :–

संबंधित अभिलेखों आदेश के अवलोकन में कही भी आवासन हेतू होटल को किराया पर लेने का आदेश प्राप्त नहीं पाया गया। कार्यालय के पत्रांक 5390 / गो0 दिनांक 3.11.11 में सरकार के संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक

1390 दिनांक 14.10.11 का हवाला देते हुए सिर्फ परिसदन में माननीय मुख्य मंत्री एवं अन्य मंत्रियों/अधिकारियों/ सुरक्षाकर्मीयों के ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था करने का आदेश प्राप्त था। कार्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिश्रव के अनुसार मे0 होटल पाल में 10 कमरे में आये पदाधिकारियों की व्यवस्था थी जिसमें माननीय अब्दुल रसीद ओ0 एस0 डी0 एवं अन्य 9 लोगों की ठहरने की व्यवस्था थी। जिसका भुगतान चेक संख्या 529291 / 6.3.12 के द्वारा रूपये 33515.00 किया गया था जिसका बुकिंग 19.12.11 से 25.12.11 तक था जबकि आवासन 20. 12.11 से 24.12.11 तक की अवधि थी। साथ ही मे0 होटल जयराम में 13 कमरे डी0 एम0 रोहतास के नाम से बुक किया गया था इसमें कौन – कर्मी / पदाधिकारी द्वारा आवासन किया गया इसका जिक्र अंकित नहीं पाया गया। जिसका बुकिंग 20.12.11 से 25.12.11 तक किया गया। जिसका भुगतान चेक संख्या 529292/ दिनांक 6.3.12 के द्वारा रूपये 2600.00 किया गया था। जबकि माननीय मुख्य मंत्री का प्रोग्राम 20 से 24 दिसम्बर 11 तक ही था। उसी प्रकार मे0 बिहार स्टेट टूरिज्म कारपोरेशन होटल सहर्ष बिहार, सासाराम विल न. 536 द्वारा डी0 एम0 रोहतास के नाम से 5 कमरा डोरमेटरी बुक था। जिसमें 32 व्यक्ति की ठहरने की व्यवस्था थी जिसमें कौन – कौन पदा0 द्वारा उपयोग लाया गया इसका कोई प्रमाण नहीं पाया गया। जिसका भुगतान चेक सं. 52293 दिनांक 6.3.12 के द्वारा रूपये 22300.00 किया गया। एवं इसी फर्म के विल न0. 537 के द्वारा 10 व्यक्ति के ठहरने की व्यवस्था दिनांक 20. 12.11 से 23.12.11 की गई थी जिसका भुगतान चेक संख्या 529293 दिनांक 6.3.13 से रूपये

9624.00 किया गया था। उपरोक्त कमरा किसके द्वारा उपयोग लाया गया इसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं की गई।

उठाई गई आपत्ति के अनुपालन में दिखाई गई सेविका में दिनांक 20.12.11 से 24.12.11 तक माननीय मुख्य मंत्री की भ्रमण की पुष्टि की गई लेकिन उनके साथ कितने कर्मी / पदा0 / मंत्री आये स्पष्ट नहीं किया गया। ठहरने संबंधि उपयोगिता प्रमाण पत्र अन्य अतिशाला खाली थी की नहीं इसका एन0 ओ0 सी0 प्रमाण प्रस्तुत नहीं की गई। साथ ही अवधि से अधिक दिनों का दावा काट कर भुगतान किया गया था। साथ ही होटल में ठहरने की व्यवस्था संबंधि कोई संचिका में जिक्र नहीं पाई गई प्ररन्तु भुगतान की स्वीकृति पाई गई।

अतः भ्रमण में कितने व्यक्ति आये उनके द्वारा कौन – कौन होटलों का उपयोग किया। अन्य अतिशाला संबंधि एन0 ओ0 सी0 प्रस्तुत नहीं की गई जिससे होटल पर व्यय की सत्यता की जाँच नहीं हो सकी कि कितनी संख्या थी, जिसके लिए इतने होटल के कमरों की व्यवस्था की गई। इस प्रकार संख्या की विस्तृत उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई। अतः भ्रमण में आये व्यक्तियों संख्या, होटल की उपयोगिता, अन्य अतिशाला की एन0 ओ0 सी0 के अभाव में होटल पर व्यय की गई राशि 91889.00 आपत्ति अन्तर्गत रखी जाती है तथा सुझाव दिया जाता है कि प्रशासी विभाग उपरोक्त व्यय की वास्तविकता की जाँच कर ले तथा अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराये।

12. अतिथ्य में वाहन मद पर व्यय रूपये 99713.00 आपत्ति अन्तर्गत :–

वर्ष 2011–12 के शीर्ष 2053 के अतिथ्य व्यय मद के अभिश्रवों के जाँच में पाया गया कि सरकार के संयुक्त सचिव मंत्री मंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1390 दिनांक 14.10.11 के आलोक में माननीय मुख्य मंत्री के आगमन पर दिनांक 21.12.11 से 24.12.11 तक के भ्रमण के दौरान वाहन / ईंधन की व्यवस्था पर व्यय रूपये 99713.00 किया गया। साथ ही माननीया लोक सभा अध्यक्षा के आगमन पर भी वाहन / ईंधन पर विभिन्न तिथियों को व्यय दिखाया गया पाया गया जिसकी विवरणी परिशिष्ट "ज" पर संलग्न है।

जाँच में पाया गया कि मे0 संजीव कुमार टूर एण्ड ट्रेभल्स सासाराम से गाड़ी भाड़े पर लिया गया जिसका दर @ 1275/– रूपये प्रतिदिन था। गाड़ी में ईंधन आपूर्ति कार्यालय द्वारा की गई जिसका समायोजन उसके भाड़े से की गई। आपूर्ति की गई गाड़ी भाड़े की (कॉमसिर्यल) या निजी गाड़ी का उपयोग किया गया जिसका उल्लेख नहीं था। कितने पदाधिकारी भ्रमण में आये, जिन्हें वाहन की व्यवस्था की गई जिसका कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। सभी अभिश्रव पर माननीय मुख्य मंत्री की सेवा यात्रा में चली अभिश्रव पर अंकित पाई गई। गाड़ी का ड्राईवर कौन था। डिजल की आपूर्ति किसने प्राप्त किया। या डिजल आपूर्ति संबंधि अभिश्रव, लॉग बुक अंकेक्षण में बार–बार अनुरोध के बाबजुद प्रस्तुत नहीं की गई।

अनुपालन में बताया गया कि रोहतास जिले में पंजीकृत वाहन ऐजेन्सी नहीं है। बिहार टूर डेवलपमेंट कारपोरेसन की दर अधिक होने के कारण स्थानीय दर पर वाहन

उपलब्ध कराई गई तथा लॉगबुक अभिश्रव अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी। जो संतोषजन नहीं है।

अतः स्पष्ट है कि निजी गाड़ी को भाड़े पर लिया गया जिसमें ईंधन आपूर्ति हुई थी नहीं प्रमाण में लॉग बुक एवं अभिश्रव उपलब्ध नहीं होने के कारण गाड़ी कितने कि0 मी0 चली इसकी जॉच नहीं हो सकी। अतः अपने स्तर से जाँच कर स्थिति स्पष्ट की जाए तबतक साक्ष्य के आभाव में रू0 99713.00 आपत्ति अन्तर्गत रखी जाती है।

13. रूपये 8919603.00 की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण राशि आपत्ति अन्तर्गत :–

(क) शीर्ष 3456 के अभिश्रवों के जाँच में पाया गया कि जिला पदाधिकारी सासाराम के आदेश शून्य दिनांक 23.3.11 के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी सासाराम के पत्रांक 425 दिनांक 24.3.11 के द्वारा अन्नपूर्णा योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10, 10–11 में आवंटित खाद्यान के विरूद्ध उठाये गये खाद्यान का परिवहन एवं हथालन व्यय की राशि रूपये 265905.00 की दावा किया गया था। जिसका भुगतान चेक संख्या 404034 दिनांक 30.5.11 के द्वारा रूपये 265905.00 का भुगतान दिनांक 7.6.11 को किया गया। उक्त खाद्यान का वितरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस कारण उक्त राशि के व्यय की वास्तविकता की जाँच नहीं की जा सकी।

(ख) शीर्ष 2235 सा0 सु0 जिला नजारत रोहतास, सासाराम की रोकड़ पंजी के जाँच में पाया गया कि रोहतास जिला के पहाड़ी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतू चापाकल व्यवस्था हेतु कार्यकारी ऐजेंसी लोक स्वास्थ्य प्रमंडल सासाराम को वर्ष 2011–12 में क्रमशः 5,00,000.00 तथा 211750.00 रूपये की भुगतान दिनांक 17.3.12 एवं 30.10.12 को की गई थी। जिसका व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र बार–बार अनुरोध के बाबजूद प्रस्तुत नहीं किया जा सका। जिस कारण उक्त राशि के व्यय की वास्तविकता जाँच नहीं की जा सकी।

(ग) शीर्ष 2202 के अन्तर्गत कार्यपालक अभियंता ग्रा0 कार्य प्रमण्डल सासाराम को सासाराम स्टेडियम तथा तिलौथु स्टेडियम सासाराम के निर्माण हेतु रू0 259200.00 एवं 2489530.00 का भुगतान दिनांक 24.4.11 एवं 12.12.11 को किया गया था। जिसकी व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र बार–बार मांग के बाबजूद उपलब्ध नहीं कराया गया। जिससे कार्य पूर्ण हुआ की नहीं तथा व्यय के वास्तविकता की जाँच नहीं हो सकी।

(घ) शीर्ष 8434 जनगणना 2011 के निमित विभिन्न कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत / नगर परिषद को मानदेय के भुगतान हेतु रूपये 5193218.00 अग्रिम के रूप में विपत्र सं. 348/2010–11, 349/2010–11 एवं 263/2011–12 द्वारा प्राप्त राशि की विमुक्ति क्रमशः 30.05.11 एवं 29.2.12 को की गई थी। जिसका वितरण व्यय तथा उपयोगिता संबंधित प्रमाण पत्र बार–बार अनुरोध के बाबजुद प्रस्तुत नहीं हो सकी। इस कारण व्यय की जाँच नहीं हो सकी।

उपरोक्त खण्ड क, ख, ग, घ, के अन्तर्गत कुल भुगतीत राशि रूपये 89,19,603.00 का विवरण परिशिष्ट "झ" पर संलग्न है।

अतः उपरोक्त खण्ड क, ख, ग, घ, के अन्तर्गत कुल भुगतीत राशि रूपये 89,19,603.00 का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित ऐंजेसी एवं पदाधिकारीयों से प्राप्त करने के उपरान्त साक्ष्य पदाधिकारी अपने स्तर से इसकी जाँच कर संतुष्ट हो लें तथा परिणाम से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाए। तबतक भुगतीत राशि आपत्ति अन्तर्गत रखी जाती है।

14. बैट / विक्रीकर की कटौती नहीं किये जाने के फलस्वरूप रूपये 47554.00 के राजस्व की क्षति :–

समानों के क्रय से संबंधित अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि विभिन्न विपत्रों द्वारा उपस्कर की क्रय की गई थी, एवं विभिन्न आपूर्तिकताओं को बैट लंबित कुल राशि भुगतान की गई थी परन्तु उपस्करों के भुगतान की राशि पर विहित दर से बैट की कटौती न कर कुल राशि भुगतान कर दी गई थी, जिससे कुल रूपये 47554.00 के राजस्व की क्षति कुल जिसकी विवरणी परिशिष्ट "ञ" पर संलग्न है।

उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार वित्त वाणिज्य कर विभाग के पत्रांक 524 विक्रिकर संविदा 01/05 दिनांक 13.02.05 बिहार, मुख्य वर्द्धित कर अधिनियम 2005 की

धारा 40 (क) के तहत 01.04.2005 के अनुसार क्रय किये जानेवाले समाग्रियों के मुल्य पर उनके भुगतान के समय बैट / बिक्री की कटौती करना अनिवार्य है।

मौखिक अनुपालन में बताया गया कि संबंधित वित्तीय वर्ष में संबंधित फर्म के द्वारा अग्रिम टैक्स जमा कर दिया जाता है। अतः बैट की राशि जमा नहीं दिखाया गया है। कोई भी प्रमाण साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं की गई। जिसमें स्पष्ट हो सके कि जिला नजारत कार्यालय को आपूर्ति की गई उपस्कर संबंधित (invoice) का बैट / विक्रिकर कटौती कर जमा कर दी गई है। अनुपालन में बताया गया कि भविष्य में उपरोक्त धारा का अनुपालन किया जायेगा।

अतः स्पष्ट है कि संबंधित फर्म द्वारा बैट की कटौती से संबंधित साक्ष्य विपत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया था।

अतः आवश्यक छानवीन कर बैट / विक्रीकर की राशि के रूप में राजस्व की क्षति रूपये 47554.00 कोषागार में जमा कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाए। एवं सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में बैट की राशि काट कर ही लंबित आपूर्तिकर्त्ता को राशि भुगतान किया जाए। एवं बैट की राशि संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कोषागार में जमा किया जाए। तथा इसके लिए एक अलग से पंजी संधारण किया जाए जिसमें यह अंकित हो कि संबंधित विपत्र से इतनी बैट की राशि की कटौती की गई है एवं कोषागार में जमा की तिथि भी अंकित किया जाए। इससे करबंचना की संभावना

विलकुल नहीं होगी। साथ ही वर्ष 2011–12 के पूर्व या इस वित्तीय वर्ष में कितनी राशि बैट मद में भुगतान विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा की गई इसकी जाँच उच्चधिकारी अपने स्तर से करके संतुष्ट हो ले तथा फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी अवगत कराई जाए।

15. विभिन्न मदों में 31.3.2012 रोकड़ पुस्त में संवरण शेष के रूप में अव्यहृत रूपये 11814232.07 कोषागार में जमा योग्य :–

वर्ष 2011–12 के सहायक रोकड़ पुस्त, सामान्य रोकड़ पुस्त के योग एवं संतुलन के जाँच में पाया गया कि दिनांक 31.3.12 के सामान्य रोकड़ पुस्त में विभिन्न शीर्षो में संवरण शेष के रूप में रूपये 11814232.07 अव्यवहृत रूप में पाया गया। जो अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि 20.6.13 को बढ़कर 14250275.07 हो गया। जो बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 300 के प्रतिकूल है। उक्त नियम के अनुसार कोषागार से सरकार द्वारा प्राप्त आवंटन की निकासी उतनी की जानी है। जिसकी तत्काल भुगतान की आवश्यकता हो, साथ ही भुगतान के पश्चात् बची राशि को संबंधित शीर्ष में कोषागार में उसी वित्तीय वर्ष के अन्त में जमा कर देने का प्रावधान है। साथ ही नाजीर रसीद से प्राप्त राशि को माह में एक या दो बार में कोषागार में जमा कर देने का प्रावधान है। परन्तु कार्यालय द्वारा इस नियम के प्रतिकूल प्रत्येक वर्ष में अनावश्यक रूप में आवश्यकता से अधिक राशि निकासी कोषागार में करके सहायक रोकड़ पुस्त में रखा पाया गया।

इसके अनुपालन में स्पष्ट कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भविष्य में इस पर रोक लग सके।

परिशिष्ट "ट" पर संलग्न विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि पूर्व से ऐसे ही अव्यवहृत राशि के रूप राशि पड़ी है। जिसका अधिकांश भाग स्थानीय बैंक में तथा अनाधिकृत व्यय कर असमायोजित अभिश्रव में पड़ी हुई है। भविष्य में इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। तथा इस प्रकार अतः शेष के रूप में एक बड़ी राशि अनावश्यक रूप में पड़ी रहने से विचलन / गबन की सम्भावना बनी रहती है। तथा सरकार के बजट पर इसका प्रतिकूल असर पड़ता है। अतः अविलम्ब रूपये 11814232.07 कोषागार में जमा कर इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराई जाए।

16. बिचलन कर रूपये 3855838.85 व्यय किया जाना, नियमित करने का सुझाव :–

जिला नजारत सासाराम के लेखा अभिलेखों (यथा सं0 रोकड़ पुस्त, सामान्य रोकड़ पुस्त अभिश्रवों) के जाँच क्रम में पाया गया कि दिनांक – 01.04.2011 को असमायोजित अभिश्रवों का प्रा0 शेष रू0 4585671.85 था जो अंकेक्षित अवधि के अन्त में अर्थात 31.3.12 को संवरण शेष के की राशि रू0 4278703.85 असमासोजित अभिश्रव के रूप में बढ़ा तथा अंकेक्षण प्रा0 तिथि 20.06.13 तक समायोजनों प्राप्त रू0 3855838.85 शेष पाया गया। इससे स्पष्ट हुआ कि अन्य मदों के अतिरिक्त विशेष रूप से विकास मद की राशि का विचलन कर अनियमित व्यय किया गया था, जो एक गंम्भीर आपत्ति का विषय है।

अनुपालन में असमायोजित अभिश्रवों के लिए जिला नजारत के पत्रांक 255 / नजारत दिनांक – 02.05.2008 के द्वारा बताया गया कि समायोजन के लिए आवंटन की मांग की गई थी परन्तु आवंटन उपलब्ध नहीं होने के कारण समायोजन नहीं हो सका।

अतः असमायोजित अभिश्रवों के रूप में रूपये शेष राशि 3855838.85 का विचलन कर अनियमित रूप से व्यय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई तथा भविष्य में इसकी रोकथाम के साथ – साथ उक्त व्यय के राशि के समायोजन हेतु आवंटन उपलब्ध कराकर तथा किये गये व्यय के जाँचोपरान्त नियमित करने हेतु प्रशासी विभाग का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। इस संबंध में की गई कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराई जाए।

17. अस्थाई अग्रिम राशि 118815.00 का समायोजन नहीं समायोजन का सुझाव :–

अस्थाई अग्रिम पंजी, सामान्य रोकड़ पुस्त की जाँच में पाया गया कि दिनांक 1.4.11 अस्थाई अग्रिम राशि का प्रारम्भण शेष रूपये 7363711.70 दर्शाई गई थी जो बढ़कर 31.3.12 को संवरण शेष रूपये 7518256.70 तथा अंकेक्षण प्रा0 तिथि 20.06.13 को रूपये 8648151.70 का अस्थाई अग्रिम प्रदान किया गया था जिसमें वर्ष 2011–12 का रू0 118815.00 है। जिसकी विवरणी परिशिष्ट "ठ" संलग्न है।

अस्थाई अग्रिम पंजी के अवलोकन में पाया गया कि 1.4.93 से ही कुछ कर्मी के पास छोटी – बड़ी राशि अग्रिम के रूप में पड़ी हुई है। जिसका समायोजन न कर फिर

उसे अस्थाई अग्रिम कई वार विभिन्न कार्य हेतु दिया गया हे। लेकिन समायोजन हेतु कोई ठोस कमद नहीं उठाई जा रही है।

जो बिहार कोषागार संहिता के नियम 609 (i), 611 के प्रतिकूल है। इस नियम के तहत किसी सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति से किसी विभागीय या संबंधित उदेश्यों के लिए प्रदान किया अग्रिम का समायोजन कार्य समाप्ति के पश्चात् अभिश्रव संलग्न कर राशि को वापसी कर जैसा भी मामला हो किया जाना अपेक्षित है। जिसका पालन न कर बार–बार अग्रिम का भुगतान पूर्व में किया जाता रहा है। साथ ही अस्थाई अग्रिम रोकड़ पंजी का संधारण नहीं किया पाया गया।

अतः सुझाव दिया जाता है कि वर्ष 2011–12 में रूपये 118815.00 का समायोजन हेतू ठोस कार्रवाई की जाए तथा पूर्व से लंबित चली आ रही अग्रिम को समायोजन वसूल कर कोषागार में जमा की जाए। साथ ही सहायक अग्रिम रोकड़ पंजी का संधारण की जाए। की गयी कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराई जाए।

18. बैंक से प्राप्त सूद की राशि रूपये 6444088.05 को कोषागार में जमा किये जाने का सुझाव :–

जिला नजारत सासाराम के लेखा अभिलेखों यथा बैंक स्टेटमेंट, सूद की साहयक रोकड़ पंजी, के जाँच क्रम में देखा गया कि कार्यालय द्वारा समय–समय पर बैंक से

प्राप्त सूद की राशि को ससमय रोकड़ बही में अंकित **नहीं** किया गया था। अथवा काफी विलम्ब से रोकड़ पुस्त में अंकित किया गया था। जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :–

खाता सं0 एवं बैक का नाम / SBI सासाराम	दिनांक	सूद की राशि	रोकड़ पुस्त में प्रविष्टी की गई हॉ / नहीं	यदि हॉ तो तिथि	अभ्युक्ति
A/C NO 1113930239	30.6.11	29408.00	नहीं	–	अंकेक्षण प्रा0 तिथि तक नहीं
A/C NO 1113930239	31.12.11	33239.00	नहीं	–	अंकेक्षण प्रा0 तिथि तक नहीं
	योग :–	62647.00			
A/C NO 11133930499	30.6.11	459358.00	हॉ	23.2.12	विलम्ब लगभग 8 माह

A/C NO 11133930499	31.12.11	465457.00	हॉ	23.2.12	विलम्ब लगभग 2 माह
A/C NO 11133930499	31.12.10	396881.00	हॉ	23.2.12	विलम्ब लगभग 26 माह
		1321696.00			
		+62647.00			
	कुल योग –	1384343.00			

अतः बैंक से प्राप्त सूद की राशि रोकड़ पुस्त में इंद्राज नहीं की गई राशि 62647.00 आय पक्ष में अंकित कर तथा विलम्ब से रोकड़ पुस्त में अंकित राशि 1321696.00 कुल 1384343.00 संबंधित शीर्ष में कोषागार में जमा कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराई जाए। तथा सुझाव दिया जाता है कि सूद की प्रविष्टी समय पर रोकड़ पुस्त में की जाए।

19. बहुत दिनों से चली आ रही बैंक ड्राफ्ट, चेक, एन.एस.सी. के रूप में रूपये 43336.00 को पुर्नलिखित कर भुगतान या कोषागार में जमा करने का सुझाव :–

अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि 20.6.13 के भौतिक सत्यापन से स्पष्ट होता है कि बहुत पहले से बैंक ड्राफ्ट, चेक, एन.एस.सी. के रूप रूपये 43336.00 यों ही पड़ी हुई है। जिसकों सामान्य रोकड़ पुस्त में ढोया जा रहा है तथा कालातित् हो गई है।

इस संबंध में अंकेक्षण का सुझाव है कि यह राशि अगर किसी की देनदारी बनती है तो उसे पुर्नजिवित कर उसे भुगतान कर दिया जाए। अथवा कोषागार में जमा कर दी जाय।

20. एक स्थापना के तहत् अलग–अलग शीर्षो का विपत्र पंजी एवं अलग–अलग निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के बदले एक ही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी रखे जाने के संबंध में।

अंकेक्षण के दौरान विपत्र पंजी, रोकड़ पुस्त, सामान्य रोकड़ पुस्त के अवलोकन के ज्ञात हुआ किइस कार्यालय में अलग–अलग शीर्षो का अलग–अलग विपत्र पंजी संधारण किया गया है एवं अलग–अलग शीर्ष का अलग–अलग निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी बनाया गया है। इससे वित्तिय लेन – देन में गड़बडी होने पर जबाब देही निर्धारित करने में काफी कठिनाई होगी। क्योकि भौतिक सत्यापन सामान्य रोकड़ पुस्त के संवरण के आधार पर होती है। जिसमें सभी विपत्र राशियों की प्रविष्टि रहती है। प्रविष्टि की गड़बडी होने पर जबाबदेह कोन होगा। जबकि सभी निकासी एवं व्यय राशि से संबंधित सामान्य रोकड़ पुस्त पर नजारत उप समाहर्त्ता का हस्ताक्षर होता है जो लेखा संधारण की दृष्टिकोण से उचित नहीं हैं। अतः सुझाव है कि एक ही विपत्र पंजी एवं एक ही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी रखा जाए।

21. सामान्य रोकड़ पुस्त का भौतिक सत्यापन नहीं किया जाना :–

अंकेक्षण क्रम में पाया गया कि सामान्य रोकड़ पुस्त का संवरण शेष का भौतिक सत्यापन नियमानुसार वर्ष 2011–12 में कभी नहीं किया गया था। जबकि कोषागार संहिता भाग–1 नियम 86 के अनुसार प्रत्येक माह के 15 वीं एवं 30 बीं0 तारीख को निश्चित रूप से संवरण शेष का भौतिक सत्यापन किया जाना है भविष्य में इस नियम का दृठता से पालन किया जाए।

22. भण्डारण का भौतिक सत्यापन नहीं किया जाना :–

भण्डार पंजी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि भण्डार का भौतिक सत्यापन कभी भी नहीं किया गया। जो बिहार वित्तीय नियमावली भाग–1 के नियम 143 के प्रतिकूल है। अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि भण्डार का भौतिक सत्यापन किसी सक्षम पदाधिकारी से कराकर वस्तु स्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराई जाए।

22/08/14

उप लेखा नियंत्रक
वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना।

मिलान एवं शुद्धि कर्त्ता का ह0
हेमा सिंह

परिशिष्ट " क "

(कंडिका 1 ट से संबंधित)

प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

(क) प्रस्तुत अभिलेख

1 सामान्य रोकड़ पुस्त

2 सहायक रोकड़ पुस्त (सभी शीर्षों का)

3 विपत्र पंजी

4 वेतन भुगतान पंजी

5 यात्रा भत्ता भुगतान पंजी

6 यात्रा भत्ता विपत्र की कार्यालय प्रति

7 अस्थाई अग्रिम पंजी

8 असामायोजित अभिश्रव पंजी

9 आकस्मिक व्यय के संबंधित अभिश्रव

10 बैंक विवरणी

11 अस्थाई भंडार पंजी

12 आकस्मिता पंजी

13 चेक निर्गत पंजी

14 गाड़ी के लॉगबुक (आंशिक)

15 जेनरेटर लॉग बुक

(ख) अप्रस्तुत अभिलेख की सूची :—

1. आवंटन पंजी

2. सेवा पुस्त

3. क्रय संबंधि संचिका

4. चेक ड्राफ्ट आगत पंजी

5. वेतन विवरणी

6. स्थाई भण्डार पंजी

7. टेलीफोन लॉग बुक

8- गाड़ी के लॉग बुक (आंशिक)

AUDIT REPORT NO - 75-2013-14						
परिशिष्ट ''ख'' कंडिका 3 से संबंधित						
आवंटन एवं व्यय विवरणी वर्ष 2011–12						
क्रम सं0	शीर्ष	इकाई	प्राप्त आवंटन की राशि	व्यय की गई राशि	बचत एवं प्रत्यार्पित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	2053 जिला प्रशासन	वेतन	3,03,00,000.00	2,46,98,152.00	56,01,848.00	पत्रांक 305 दिनांक 31.3.12 के द्वारा रूपये 24061854.00 का प्रत्यार्पण।
2		विशेष वेतन	20,000.00	0.00	20,000.00	
3		जीवन यापन भत्ता	2,02,50,000.00	1,24,91,978.00	77,58,022.00	
4		मकान किराया भत्ता	29,00,000.00	17,68,771.00	11,31,229.00	
5		चिकित्सा भत्ता	3,85,000.00	2,90,640.00	94,360.00	
6		अन्य भत्ता	20,000.00	20,000.00	0.00	
7		चिकित्सा प्रतिपूर्ति	2,14,000.00	2,13,041.00	959.00	
8		यात्रा व्यय	2,00,000.00	86,374.00	1,13,626.00	

9		कार्यालय व्यय	45,00,000.00	22,23,119.00	22,76,881.00	
10		वाहन का इंधन एवं रख रखाव	15,00,000.00	10,21,650.00	4,78,350.00	
11		दूरभाष	5,00,000.00	1,04,526.00	3,95,474.00	
12		विघुत प्रभार	41,69,000.00	2,88,358.00	38,80,642.00	
13		वर्दी	2,00,000.00	1,68,908.00	31,092.00	
14		किराया महसूल एवं कर	80,000.00	80,000.00	0.00	
15		अतिथ्य व्यय	10,00,000.00	3,05,716.00	6,94,284.00	
16		कॉन्फ्रेस कार्य सेमिनार	50,000.00	0.00	50,000.00	
17		सामग्री एवं आपूतियो	2,00,000.00	0.00	2,00,000.00	
18		व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ	18,00,000.00	4,64,913.00	13,35,087.00	
				योग :—	2,40,61,854.00	

आवंटन एवं व्यय विवरणी वर्ष 2011–12						
क्रम सं0	शीर्ष	इकाई	प्राप्त आवंटन की राशि	व्यय की गई राशि	बचत एवं प्रत्यार्पित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	3456 सिविल आपूर्ति	वेतन	42,00,000.00	38,58,603.00	3,41,397.00	पत्रांक 574 दिनांक 31.3.12 के द्वारा रूपये 854181.00 का प्रत्यार्पण।
2		महगाई भता	18,70,000.00	18,43,044.00	26,956.00	
3		चिकित्सा भत्ता	55,000.00	36,400.00	18,600.00	
4		मकान किराया भत्ता	7,48,360.00	5,23,450.00	2,24,910.00	
5		अन्य भत्ता	1,700.00	0.00	1,700.00	
6		यात्रा व्यय	17,000.00	6,380.00	10,620.00	
7		वर्दी	3,000.00	2,850.00	150.00	
8		कार्यालय व्यय	32,85,000.00	31,77,462.00	1,07,538.00	
9		विधुत	8,300.00	0.00	8,300.00	
10		मुद्रण ईकाई	50,000.00	10,000.00	40,000.00	
11		मोटर गाड़ी	1,08,750.00	51,840.00	56,910.00	

12		वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	5,000.00	0.00	5,000.00	
13		चिकित्सा प्रतिपूर्ति	10,000.00	0.00	10,000.00	
14		व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ	2,100.00	0.00	2,100.00	
				योग :–	8,54,181.00	

आवंटन एवं व्यय विवरणी वर्ष 2011–12

क्रम सं0	शीर्ष	इकाई	प्राप्त आवंटन की राशि	व्यय की गई राशि	बचत एवं प्रत्यार्पित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	2029 भू राजस्व	वेतन	56,80,000.00	52,32,622.00	4,47,378.00	पत्रांक 548 दिनांक 29. 5.12 के द्वारा रूपये 636130.00 का प्रत्यार्पण।
2		महगाई भता	25,56,000.00	23,88,376.00	1,67,624.00	
3		यात्रा भत्ता	1,19,400.00	98,272.00	21,128.00	
				योग :–	6,36,130.00	

शीर्ष 2505 के वर्ष 2011—12 के आवंटन — व्यय विवरणी						
क्रम सं0	शीर्ष	इकाई	प्राप्त आवंटन की राशि	व्यय की गई राशि	बचत एवं प्रत्यार्पित राशि	अभ्युक्ति
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	2505 एन. आर. ई0 पी0	वेतन	1,28,37,100.00	1,03,60,978.00	24,76,122.00	पत्रांक 07 दिनांक 31.3.12 के द्वारा रूपये 2661722.00 का प्रत्यार्पण।
2		यात्रा भत्ता	1,00,000.00	0.00	1,00,000.00	
3		वर्दी / पोसाक	15,600.00	0.00	15,600.00	
4		कार्यालय व्यय	1,00,000.00	30,000.00	70,000.00	
				योग :—	26,61,722.00	

आवंटन एवं व्यय विवरणी वर्ष 2011—12						
क्रम सं0	शीर्ष	इकाई	प्राप्त आवंटन की राशि	व्यय की गई राशि	बचत एवं प्रत्यार्पित राशि	अभ्युक्ति
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	2070 परिषदन	कार्यालय व्यय	20,000.00	19,956.00	44.00	
2		दूरभाष	90,000.00	55,185.00	34,815.00	
3		विधुत प्रभार	1,00,000.00	39,492.00	60,508.00	
4		सामग्री आपूर्ति	10,00,000.00	4,15,391.00	5,84,609.00	
5		व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ	1,00,000.00	16,416.00	83,584.00	
6		किराया महसूल	10,000.00	9,864.00	136.00	
				योग :—	7,63,696.00	

परिशिष्ट "ग" कंडिका 2 (v) से संबंधित				
वर्ष 2011–12 के प्रारम्भण शेष एवं अंतिम शेष का शीर्षवार विवरणी				
क्रम सं0	मद का नाम	1.4.11 के प्रा0 शेष	31.3.12 के संवरण शेष	30.6.13 के अंतिम शेष (अंकेक्षण प्रा0 तिथि)
1	2	3	4	5
1	2053 जिला प्रशासन	50,01,618.04	33,86,233.04	42,15,150.04
2	आकस्मिकता	87,40,092.30	87,40,092.30	87,40,092.30
3	सरकारी पावती	9,56,971.99	9,96,571.99	34,37,784.99
4	नक्सा विक्री	1,485.00	39,250.00	29,100.00
5	परिवार कल्याण	9,603.56	10,023.56	9,603.56
6	विकास	19,09,832.00	19,09,832.00	19,09,832.00
7	2015 निर्वाचन	1,10,531.92	1,10,531.92	1,15,931.92
8	2071 पेंशन	0.00	0.00	0.00
9	2055 पुलिस	16,216.00	1,31,228.00	1,31,216.00
10	2029 भू राजस्व	71,07,716.46	1,05,18,443.46	1,62,06,886.46
11	3456 आपूर्ति	10,45,943.10	7,77,038.10	7,60,302.00
12	8009 सा0 भ0 नि0	0.00	0.00	0.00

13	8011 ग्रुप विमा	0.00	0.00	0.00
14	2235 सा0 सु0 यो0	2,66,500.00	54,850.00	54,750.00
15	वि0 वि0 प0 स0	68,670.00	98,350.00	8,11,995.00
16	2070 परिवहन	7,84,346.00	1,65,251.00	77,610.00
17	8434 जनगणना	28,57,552.20	14,09,170.00	14,300.00
18	2014 न्याय प्रशासन	2,42,785.00	41,60,177.00	0.00
19	इन्टरमेडियेट परीक्षा	51,966.00	42,230.00	7,41,027.00
20	आजादी के 50वीं वर्षगाठ	7,640.30	7,640.00	7,640.00
21	2054 राजकोष	0.00	0.00	0.00
22	2042 ब्याज आदायेगी	1,44,223.04	1,44,223.04	0.00
23	2202 शिक्षा	89,76,372.00	37,12,649.00	35,15,628.00
24	8475 भू हदवेदी	260.00	260.00	260.00
25	2515 ग्रा0 विकास	1,34,221.00	1,34,221.00	25,00,000.00
26	सूद	51,22,392.05	64,44,088.05	21,02,703.00
27	2030 स्टाम्प	0.00	0.00	0.00
28	2055 प्र0 गुप सेवा	7,010.00	7,010.00	0.00
		4,35,63,977.96	4,29,99,393.76	4,53,81,842.27

परिशिष्ट ''घ'' कंडिका 4 से संबंधित					
शीर्ष 2053 जिला प्रशासन 093 जिला स्थापना अन्तर्गत स्वीकृत बल/कार्यरत बल की सूचि :–					
क्रम सं0	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त बल	अभ्युक्ति
1	**2**	**3**	**4**	**5**	
1	जिला पदाधिकारी	1	1	0	
2	अपर समाहर्त्ता भू हदबंदी	1	1	0	
3	वरीय उप समाहर्ता	11	10	1	
4	लिपिक	69	54	15	
5	अनुसेवक	32	32	0	

शीर्ष 3456 जिला आपूर्ति के स्वीकृत बल/कार्यरत बल / रिक्त की विवरणी :–					
क्रम सं0	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त बल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	
1	जिला आपूर्ति पदाधिकारी	1	1	0	
2	लिपिक	9	4	5	
3	अनुसेवक	3	3	0	

शीर्ष 2029 भू राजस्व के स्वीकृत बल/कार्यरत बल / रिक्त बल की विवरणी :–					
क्रम सं0	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त बल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	
1	अपर समाहर्त्ता (रोहतास)	1	1	0	
2	अपर समाहर्त्ता (नक्सल)	1	0	1	
3	आशु लिपिक	1	1	0	
4	प्रधान लिपिक	1	0	1	
5	लिपिक	15	8	7	
6	जीप चालक	1	1	0	
7	दफतरी	1	1	0	
8	अनुसेवक	9	9	0	
9	बालपंचर अमीन	5	4	1	

शीर्ष 2505 एन.आर.ई.पी. के स्वीकृत बल/कार्यरत बल / रिक्त बल की विवरणी :—					
क्रम सं0	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त बल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	
1	सहायक अभियंत्रण	5	4	1	

परिशिष्ट "ड़" कंडिका 5 से संबंधित					
पेशा कर की राशि रूपये 9000.00 की विवरणी :—					
क्रम सं0	शीर्ष का नाम	पदाधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं पदनाम	वर्ष 2011—12 में कुल आय	पेशाकर की राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	2053 जिला प्रशासन	श्री ललन सिंह अनुसेवक	3,03,392.00	1,000.00	पेशाकर की कटौती नहीं की गई है।
2	2029 भू राजस्व	श्री कामेश्वर प्रसाद सिंह, प्रभारी प्रधान लिपिक	4,16,893.00	1,000.00	

3	2029 भू राजस्व	शशि भूषण चौधरी, लिपिक	3,15,152.00	1,000.00	
4	2029 भू राजस्व	श्री हरिओम प्रकाश सिंह, लिपिक	3,31,742.00	1,000.00	पेशाकर की कटौती नहीं की गई है।
5	2029 भू राजस्व	श्री राज कुमार साह, जीपचालक	3,18,707.00	1,000.00	
6	2029 भू राजस्व	श्री देवनदन तिवारी, अमीन	3,42,326.00	1,000.00	
7	2029 भू राजस्व	श्री कामेश्वर सिंह, अमीन	3,15,660.00	1,000.00	
8	2029 भू राजस्व	श्री लक्षमण राम, अमीन	3,24,934.00	1,000.00	
9	3456 आपूर्ति	श्री अरविंद कुमार सिंह, लिपिक	3,30,343.00	1,000.00	
			योग :–	9,000.00	

परिशिष्ट ''च'' कंडिका 10 से संबंधित												
जिला अधिकारी सासाराम के आवास पर जेनरेटर में ईंधन की आपूर्ति का विवरण कुल रू0 536003.75 :–												
क्रम सं0	शीर्ष का नाम	विपत्र संख्या	विपत्र की राशि	फर्म का नाम एवं पता	अभिश्रव सं0	अवधि	कुपन संख्या	मात्रा	दर	किमत	भुगतान तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2053 जिला प्रशासन	236 / 2011-12	19,404.40	मे0 गोल्डेन प्रट्रोल पम्प सासाराम	22	1.6.11 से 28.6.11 तक	9716 से 9725 एवं	440	40.13	17,657.20		
							12851 से 12861 तक	40	43.68	1,747.20	09-02-2012	
										19,404.40		
2	2053 जिला प्रशासन	236 / 2011-12	28,221.15	तदैव	12	2.8.10 से 30.8.10 तक	2018-2025, 1426-1440, 14123-14125	705	40.03	28,221.15	09-02-2012	

3	2053 जिला प्रशासन	236 / 2011-12	29,678.00	तदैव	1	1.9.10 से 30.9.10 तक	1441-1450, 1280-1287, 5301-5312	740	40.12	29,664.80	09-02-2012	
4	2056 जिला प्रशासन	236 / 2011-12		तदैव	49	2.10.10 से 30.10.10 तक	5313-5354	540	40.12	21,664.80	09-02-2012	
5	2057 जिला प्रशासन	236 / 2011-12		तदैव	59	1.11.10 से 28.11.10 तक	5355-5370	345	40.13	13,844.85	09-02-2012	
6	2058 जिला प्रशासन	236 / 2011-12		तदैव	37	1.12.10 से 27.12.10 तक	5372-5375, 1401-1414	520	40.13	20,867.60	09-02-2012	
7	2029 भू राजस्व	237 / 2011-12		में0 गोल्डन पेट्रोल पंप सासाराम	1	1.3.11 से 25.3.11 तक	8493-8466	640	40.13	25,683.20	11-02-2012	
8	2029 भू राजस्व	237 / 2011-12		तदैव	2	26.3.11 से 31.3.11 तक	9083-9087	75	40.13	3,009.75	11-02-2012	
9	2029 भू राजस्व	237 / 2011-12		तदैव	12	25.3.11 से 31.3.11 तक	8467-8473	180	40.13	7,223.40	12-02-2012	
10	2029 भू राजस्व	237 / 2011-12		तदैव	13	1.4.11 से 22.4.11 तक	8474-8447	650	40.13	26,084.50	12-02-2012	

11	2029 भू राजस्व	237 / 2011-12		तदैव	14	22.4.11 से 30.4.11	8448-8750, 9651-9657	300	40.13	12,039.00	11-02-2012	
12	2029 भू राजस्व	237 / 2011-12		मैं0 गोल्डन पेट्रोल पंप सासाराम	28	2.5.11 से 21.5.11	9663-9675, 9701-9704	550	40.13	22,071.50	11-02-2012	
13	2029 भू राजस्व	237 / 2011-12		तदैव	29	25.5.11 से 31.5.11	9705-9715	200	40.13	8,026.00	11-02-2012	
14	2029 भू राजस्व	237 / 2011-12		तदैव	39	2.7.10 से 31.7.10	2005-2017	640	40.13	25,683.20	11-02-2012	
15	2029 भू राजस्व	237 / 2011-12		तदैव	51	1.2.11 से 24.2.11	8414-8488	725	40.13	29,094.00	11-02-2012	
16	2029 भू राजस्व	237 / 2011-12		तदैव	63	25.2.11 से 29.2.11	8489-8492	110	40.13	1,414.30	12-02-2012	
17	2029 भू राजस्व	237 / 2011-12		तदैव	65	2.1.11 से 29.1.11	1415-1425, 385-386, 1294-1295, 8501-8511	670	40.13	26,887.00	12-02-2012	
									8070 ली0	320907-15		

)

जिला अधिकारी सासाराम के कार्यालय में जेनरेटर डीजल की आपूर्ति की विवरणी :–

क्रम सं0	शीर्ष का नाम	विपत्र संख्या	विपत्र की राशि	फर्म का नाम एवं पता	अभिश्रव सं0	अवधि	कुपन संख्या	मात्रा	दर	किमत	भुगतान तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2053 जिला प्रशासन	236 / 2011-12		मे0 गोल्डेन प्रट्रोल सर्विस सासाराम	21	17.4.11 एवं 1.6.11 से 24. 6.11 तक	1342, 9683 से 9700 1267. 1272 एवं 9022	910	40.13	36,518.30	09-02-2012	
2	2053 जिला प्रशासन	236 / 2011-12		तदैव	38	1.12.10 से 22.12.10 तक	1376-1399	820	40.13	32,906.60	09-02-2012	
3	2053 जिला प्रशासन	236 / 2011-12		तदैव	39	23.12.10 से 31.12.10 तक	1400, 7701-7706	280	40.13	11,236.40	09-02-2012	
4	2029 भू राजस्व	237 / 2011-12		तदैव	15	1.4.11 से 28. 4.11 तक	9088-9100, 1340-1350, 9676-9677	940	40.13	37,722.20	11-02-2012	

5	2029 भू राजस्व	237 / 2011-12		तदैव	16	29.4.11 से 30.4.11 तक	9678-9679	80	40.13	3,210.40	11-02-2012	
6	2029 भू राजस्व	237 / 2011-12		तदैव	41	1.7.10 से 14.7.10 तक	452-467	845	40.13	33,909.85	11-02-2012	
7	2029 भू राजस्व	237 / 2011-12		तदैव	42	17.7.10 से 31.7.10 तक	435-439	90	40.13	3,611.70	11-02-2012	
8	2029 भू राजस्व	237 / 2011-12		तदैव	52	1.2.11 से 28.2.11 तक	7707-7725 9076-9080	900	40.13	36,117.00	11-02-2012	
9	2029 भू राजस्व	237 / 2011-12		तदैव	53	1.2.11 से 17.2.11 तक	7240-7245	140	40.13	5,618.20	11-02-2012	
10	2029 भू राजस्व	237 / 2011-12		तदैव	66	3.1.11 – 5.1.11 से 12.1.11–31.1.11	7223-7232, 7233-7239	355	40.13 5360 liter total	14,246.15 0-215096.60 R 320907.15 536003.75	11-02-2012	

परिशिष्ट "छ" कंडिका 11 से संबंधित										
होटल पर व्यय रूपये 91839.00 की विवरणी :–										
क्रम सं0	विपत्र संख्या	विपत्र की राशि	अभिश्रव सं0	आपूर्तिकर्त्ता एवं फर्म का नाम एवं पता	व्यक्तियों का नाम एवं पदनाम	ठहराव दिवसों की संख्या एवं 7 अवधि	किराये का दर	कुल किराया	भुगतान तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	269 / 2011-12	5,29,303.00	28	मे0 होटल गोपाल जी0 टी0 रोड, सासाराम	1. अब्दूल रसीद ओ.एस.डी. रूम न0 .109	19.12.11 से 25.12. 11 = 6 दिन	450	2,700.00	08-03-2012	चेक सं0 529291 / 6.3. 12
					2. अशोक पाल ओ.एस.डी. रूम न0 .204	19.12.11 से 25.12. 11 = 6 दिन	550	3,300.00	08-03-2012	
					3. संतोष साह हेली प्लॉट	20.12.11 से 25.12. 11 तक	850	4,250.00	08-03-2012	
					4. ऐ. के. प्रदेशी हेली सिनियर प्लॉट	तदैव	900	4,500.00	08-03-2012	

					5. अषधक घोष हेली प्लॉट	20.12.11 से 25.12.11 = 5 दिन	900	4,500.00	08-03-2012	
					6. रवि कुमार, सिनियर ए.एस.ई.	तदैव	1100	5,500.00	08-03-2012	
					7. अनिल कु0 चौधरी	तदैव	550	2,750.00	08-03-2012	
					8. एवं अन्य तीन	तदैव	300	4,500.00	08-03-2012	
							विलाषित ा कर 5 %	1,515.00		
								33,515.00		
2	269 / 2011-12	5,29,303.00	29	मे0 होटल जय दिलक्स जी0 टी0 रोड, सासाराम	समाहर्त्ता रोहतास, कमरा न0 114, 115, 116, 101, 111, 112, 113, 117, 108, 109, 110, 106, 107, कुल 13 × 400 × 5	20.12.11 से 25.12.11 = 5 दिन	@400	26,000.00	08-03-2012	चेक सं0 529292 / 6.3.12

						योग :–	59,515.00		
2	269 / 2011-12	5,29,303.00	30	मे0 विहार स्टेट टुरिज्म डेभलप मेंट कारपोरेशन होटल सहर्स बिहार, सासाराम, विल न0 – 536	जिला पदाधिकारी, सासाराम कमरा न0 101, 102, 103, 201, 209, में 32 व्यक्ति को ठहारने का डोरमेटरी	20.12.11 से 23.12.11 = 4 दिन	5675	22,700.00	08-03-2012	चेक सं0 529293 / 6.3.12
			31	मे0 विहार स्टेट टुरिज्म डेभलप मेंट कारपोरेशन होटल सहर्स बिहार, सासाराम, विल न0 – 537	जिला पदाधिकारी, सासाराम कमरा न0 10 व्यक्ति बटू	20.12.11 से 23.12.11 तक = 4 दिन	2406	9,624.00	08-03-2012	चेक सं0 529293 / 6.3.12

परिशिष्ट "ज" कंडिका 12 से संबंधित												
कुल रू0 99713.00												
क्रम सं0	अभिश्रव सं0	फर्म का नाम एवं पता	गाड़ी सं0	अवधि	गाड़ी का प्रयोग करने वाले पदा0 का नाम	दूरी	आपूर्ति की गई ईंधन की मात्रा / दर / किमत	खपत की गई ईंधन की मात्रा / दर / किमत	अंतर राशि	भुगतान की गई राशि	भुगतान तिथि	चेक सं0 एवं विपत्र सं0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	14	मे0 संजिव कुमार टूर एवं ट्रेभल्स, सासाराम	JH 05 R 3484	9.9.11 से 12.9.11 तक	माननीय लोक सभा अध्यक्ष के प्रधान सचिव	464 km	60 ली0 × 43.71= 2622.60	58 ली0 × 43.71= 2535.18	88.00	1275x3 = 3825.00 -88 3,737.00	12-12-2011	529171 /10-12-11 वि0 सं0 186 / 11-12
2	22	मे0 संजिव कुमार टूर एवं ट्रेभल्स, सासाराम	BR 24 A 2629	9.9.11 से 12.9.11 तक	माननीय लोक सभा अध्यक्ष	960 km	100 ली0 × 69.79 = 6979.00	120 ली0 × 69.79 = 8375.00	1,396.00	1275x4 = 5100.00 + 1396 6,496.00	12-12-2011	529171 /10-12-11 वि0 सं0 186 / 11-13

3	24	मे0 संजिव कुमार टूर एवं ट्रेभल्स, सासाराम	BR 24 J 6789	9.9.11 से 12. 9.11 तक	माननीय लोक सभा अध्यक्ष	960 km	100 ली0 × 69.79 = 6979. 00	120 ली0 × 69.79 = 8375.00	1,396.00	1275x4 = 5100.00 + 1396 6,496.00	12-12-2011	529171 /10-12-11 वि0 स0 186 / 11-12
4	28	मे0 संजिव कुमार टूर एवं ट्रेभल्स, सासाराम		23.7.11 से 27. 7.11 = 2 दिन	माननीय लोक सभा अध्यक्ष क प्रधान सचिव	172 km	50 ली0 × 43. 71= 2185.00	21 ली0 × 43.71 = 918. 00	1,267.00	1275x2 = 2550.00 -1267 1,283.00	12-12-2011	529171 /10-12-11 वि0 स0 186 / 11-12
5	1	मे0 संजिव कुमार टूर एवं ट्रेभल्स, सासाराम	JH 05 R 8489	21.12. 11 से 24.12. 11 तक = 4 दिन	माननिय मुख्य मंत्री सेवा यात्रा	75 km	20 ली0 × 43. 71= 874. 20	9 ली0 × 43. 71= 394.00	480.00	1275x4 = 5100.00 -480 4,620.00	8.3.12	274 / 11-12 529298
6	2	मे0 संजिव कुमार टूर एवं ट्रेभल्स, सासाराम	BR 24 P	21.12. 11 से 24.12. 11 तक	माननिय मुख्य मंत्री सेवा यात्रा	40 km	20 ली0 × 43. 71= 874. 20	5 ली0 × 43.71 = 218. 00	655.65	1275x4 = 5100.00 -656 4,444.00	8.3.12	274 / 11-12 529298
7	3	मे0 संजिव कुमार टूर एवं ट्रेभल्स, सासाराम		21.12. 11 से 24.12. 11 तक	माननिय मुख्य मंत्री सेवा यात्रा	40 km	20 ली0 × 43. 71= 874. 20	15 ली0 × 43.71 = 655. 65	219.00	5100 -219 4,881.00	8.3.12	274 / 11-12 529298
8	4	मे0 संजिव	BR 24 P	21.12.	माननिय	110 km	20 ली0	13 ली0	306.00	5100	8.3.12	274 / 11-12 529298

		कुमार टूर एवं ट्रेभल्स, सासाराम		11 से 24.12. 11 तक	मुख्य मंत्री सेवा यात्रा		× 43. 71= 874. 20	× 43.71 =568.00		- 306 4,794.00		
9	5	मे0 संजिव कुमार टूर एवं ट्रेभल्स, सासाराम	BR 24 P	21.12. 11 से 24.12. 11 तक	माननिय मुख्य मंत्री सेवा यात्रा	113 km	20 ली0 × 43. 71= 874. 00	14 ली0 × 43.71 = 612	262.00	5100 - 262 4,838.00	8.3.12	274 / 11-12 529298
10	6	मे0 संजिव कुमार टूर एवं ट्रेभल्स, सासाराम	BR 24 P	21.12. 11 से 24.12. 11 तक	माननिय मुख्य मंत्री सेवा यात्रा	77 km	20 ली0 × 43.71 = 874.00	9 ली0 × 43.71 = 374	500.00	5100 500 4,600.00	8.3.12	274 / 11-12 529298
11	7	मे0 संजिव कुमार टूर एवं ट्रेभल्स, सासाराम		21.12. 11 से 24.12. 11 तक	माननिय मुख्य मंत्री सेवा यात्रा	120 km	20 ली0 × 43.71= 874.00	15 ली0 × 43.71 = 655.0	219.00	5100 -219 4,881.00	8.3.12	274 / 11-12 529298
12	8	मे0 संजिव कुमार टूर एवं ट्रेभल्स, सासाराम		21.12. 11 से 24.12. 11 तक	माननिय मुख्य मंत्री सेवा यात्रा	75 km	20 ली0 × 43.71= 874.00	9 ली0 × 43.71 = 393.00	481.00	5100 481 4,619.00	8.3.12	274 / 11-12 529298
13	9	मे0 संजिव कुमार टूर एवं ट्रेभल्स,		21.12. 11 से 24.12.	माननिय मुख्य मंत्री सेवा यात्रा	0	20 ली0 × 43. 71= 874.	0	874.00	5100 874	8.3.12	274 / 11-12 529298

		सासाराम		11 तक			00			4,226.00		
14	10	मे0 संजिव कुमार टूर एवं ट्रेभल्स, सासाराम		21.12. 11 से 24.12. 11 तक	माननिय मुख्य मंत्री सेवा यात्रा	52 km	20 ली0 × 43.71= 874.00	6 ली0 × 3.71 = 262.00	612.00	5100 -612 4,488.00	8.3.12	274 / 11-12 529298
15	12	मे0 संजिव कुमार टूर एवं ट्रेभल्स, सासाराम		21.12. 11 से 24.12. 11 तक	माननिय मुख्य मंत्री सेवा यात्रा	319 km	45 ली0 × 43.71= 1967.00	39 ली0 × 43.71 =1705.00	262.00	5100 -262 4,838.00	8.3.12	274 / 11-12 529298
16	13	मे0 संजिव कुमार टूर एवं ट्रेभल्स, सासाराम		21.12. 11 से 24.12. 11 तक	माननिय मुख्य मंत्री सेवा यात्रा	49 km	20 ली0 × 43.71= 874.00	5 ली0 × 43.71 = 219.00	655.00	5100 -655 4,445.00	8.3.12	274 / 11-12 529298
17	14	मे0 संजिव कुमार टूर एवं ट्रेभल्स, सासाराम		21.12. 11 से 24.12. 11 तक	माननिय मुख्य मंत्री सेवा यात्रा	63 km	20 ली0 × 43.71= 874.00	8 ली0 × 43.71 = 350.00	524.00	5100 524 4,576.00	8.3.12	274 / 11-12 529298
18	15	मे0 संजिव कुमार टूर एवं ट्रेभल्स,		21.12.11 से 24. 12.11 तक	माननिय मुख्य मंत्री सेवा यात्रा	81 km	20 ली0 × 43.71= 874.00	10 ली0 × 43.71 = 437.00	437.00	5100 -437	8.3.12	274 / 11-12 529298

		सासाराम								4,663.00		
19	16	मे0 संजिव कुमार टूर एवं ट्रेभल्स, सासाराम		21.12.11 से 24.12.11 तक	माननिय मुख्य मंत्री सेवा यात्रा	319 km	40 ली0 × 43.71= 1748.00	48 ली0 × 43.71 = 2098.00	349.00 अधिक व्यय	5100 +349 5,449.00	8.3.12	274 / 11-12 529298
20	18	मे0 संजिव कुमार टूर एवं ट्रेभल्स, सासाराम		21.12.11 से 24.12.11 तक	माननिय मुख्य मंत्री सेवा यात्रा	145 km	20 ली0 × 43.71= 874.00	18 ली0 × 43.71 = 787.00	87.00	5100 -87 6375.00	8.3.12	274 / 11-12 529298
21	17	मे0 संजिव कुमार टूर एवं ट्रेभल्स, सासाराम		21.12.11 से 24.12.11 तक 5 दिन	माननिय मुख्य मंत्री सेवा यात्रा	310 km	40 ली0 × 43.71= 1748.40	39 ली0 × 43.71 = 1705.00	43.00	5100 -43 6332.00	8.3.12	274 / 11-12 529298

परिशिष्ट "झ" कंडिका 13 से संबंधित								
उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्रस्तुत रूपये 8919603.00 आपत्तिअन्तर्गत का विवरणी :–								
क्रम सं0	शीर्ष	विपत्र संख्या	प्राप्तकर्त्ता का नाम पदनाम पता	उदेश्य	भुगतान की गई राशि	चेक सं0 / चलान सं0 / तिथि	भुगतान तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3456 आपूर्ति	–	जिला आपूर्ति पदा0 रोहतास	परिवहन एवं हथालन व्यय हेतू	2,65,905.00	404034 / 30.05.11	07.06.2011	उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्रस्तुत।
2	2335 सा0 सुर0	28 / 2011–12	कार्यपालक अभियंता लोक स्वा0 प्रमण्डल, सासाराम	चापाकल गाड़ने हेतू	5,00,000.00	529272 / 21-2-12	17-03-2012	,,
3	2336 सा0 सुर0	318 / 11–12	कार्यपालक अभियंता लोक स्वा0 प्रमण्डल, सासाराम	चापाकल गाड़ने हेतू	2,11,750.00	529152/08-11-11	30-10-2011	,,
4	2202 शिक्षा	397 / 2009-10	कार्यपालक अभियंता ग्रा0 कार्य प्रमण्डल, सासाराम	सासाराम स्टेडियम के निर्माण हेतू	2,59,200.00	404006/8-4-11	24-04-2011	,,

5	2202 शिक्षा	180/2011-12	कार्यपालक अभियंता ग्रा0 कार्य प्रमण्डल, सासाराम	तिलैथु सासाराम स्टेडियम निर्माण	24,89,530.00	चालान। 7-8782001 / 020002	12-12-2011	उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्रस्तुत।
6	8435 जनगणना	348/2010-11 एव 349/2010-11	कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद सासाराम	जनगणना 2011 के निमित	5,01,181.00	404010/8-4-11	30-05-2011	,,
7	8435 जनगणना	348/2010-11 एव 349/2010-11	कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत नासरीगंज रोहतास	जनगणना 2011 के निमित	89,971.00	404011/8-4-11	30-05-2011	,,
8	8435 जनगणना	348/2010-11 एव 349/2010-11	कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत कोआश	जनगणना 2011 के निमित	70,387.00	404012/8-4-11	30-05-2011	,,
9	8435 जनगणना	348/2010-11 एव 349/2010-11	कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद डिहरी	जनगणना 2011 के निमित	4,91,458.00	404013/8-4-11	30-05-2011	,,
10	8435 जनगणना	348/2010-11 एव 349/2010-11	कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत विक्रम गंज	जनगणना 2011 के निमित	1,65,549.00	404014/8-4-11	30-05-2011	,,
11	8435 जनगणना	348/2010-11 एव 349/2010-11	कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत नोखा	जनगणना 2011 के निमित	1,00,082.00	404015/8-4-11	30-05-2011	,,

12	8435 जनगणना	263 / 2011—12	कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद सासाराम	जनगणना 2011 के निमित	13,33,540.00	529273 / 21-2-12	29-02-2012	,,
13	8435 जनगणना	263 / 2011—12	कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद डिहरी	जनगणना 2011 के निमित	13,06,415.00	529274 / 21-2-12	29-02-2012	,,
14	8435 जनगणना	263 / 2011—12	कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत नासरीगंज	जनगणना 2011 के निमित	2,39,580.00	529275 / 21-2-12	29-02-2012	,,
15	8435 जनगणना	263 / 2011—12	कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत कोआंश	जनगणना 2011 के निमित	1,89,860.00	529276 / 21-2-12	29-02-2012	,,
16	8435 जनगणना	263 / 2011—12	कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद विक्रमगंज	जनगणना 2011 के निमित	4,38,485.00	529277 / 21-2-12	29-02-2012	,,
17	8435 जनगणना	263 / 2011—12	कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत नोखा	जनगणना 2011 के निमित	2,66,710.00 8919603-00	529278 / 21-2-12	29-02-2012	,,

परिशिष्ट "ञ" कंडिका 14 से संबंधित											
खरीद की गई उपस्कर पर बैट / विक्रीकर की कटौती नहीं रूपये 475542 के राजस्व की क्षति की विवरणी :–											
क्रम सं0	विपत्र सं0	फर्म का नाम एवं पता	अभिश्रव सं0	इनभाईस न0 एवं तिथि	समान का नाम	मात्रा	दर	किमत	वैट की दर	बैट की राशि	भुगतान तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	239/2011–12 शीर्ष 2070 परिसदन	मे0 आदित्य भीजन कुल्हरिया कम्पलेक्स अशोक राजपथ, पटना	1	1069/16.12.11	बजाज आर एच रूम हिटर	11	1299	14,289.00	13.50%	1929.00	31-01-2012
2	239/2011–12 शीर्ष 2070 परिसदन	मे0 ड्रीम फर्निचर नाला रोड पटना	2	×/14.12.11	सेंटर टेबुल	5	5000	25,000.00	13.50%	3375	31-01-2012
3	239/2011–12 शीर्ष 2070 परिसदन	मे0 ड्रीम फर्निचर नाला रोड पटना	3	203/14.12.11	बेड 180 × 200 साईज	3	17172	51,516.00	13.50%	6954.00	30-01-2012
4	239/2011–12 शीर्ष 2070 परिसदन	मे0 आदित्य भीजन कुल्हरिया कम्पलेक्स अशोक राजपथ, पटना	5	1065/14.12.11	सोनी एल0 सी0 डी0 40 × 520	1	53000	53,000.00	13.50%	7155.00	30-01-2012

5	239 / 2011—12 शीर्ष 2070 परिसदन	तदैव	6	1066 / 14. 12.11	एल0 जी0 रिफ्रेजेटर	1	21500	21,500.00	13.50%	2902.5	30-01-2012
6	239 / 2011—12 शीर्ष 2070 परिसदन	तदैव	7	1067 / 14. 12.11	एल0 जी0, ए0सी0,	1	31500	31,500.00	13.50%	4995.00	30-01-2012
					एल0 पी0 स्टेवलाईजर	1	5500	5,500.00	13.50%		30-01-2012
								37,000.00			
7	239 / 2011—12 शीर्ष 2070 परिसदन	में0 ड्रीम फर्निचर नाला रोड पटना	4	147 / 14. 12.11	मिलान (78 X 72.00)	2	7630	15,260.00	13.50%	2060.1	30-01-2012
8	257 / 2011—12	मे0 यश भीजन आनन्द सिनेमा, जी0 टी0 रोड, सासाराम	1	× / 14.12. 11	केन्ट आर ओसीटल	1	13656	13,656.00	13.50%	1843.56	11-02-2012
9	257 / 2011—12 परिसदन	में0 ड्रीम फर्निचर नाला रोड पटना	2	210 / 14. 12.11	टी0 भी0 यूनिट	2	3789	7,578.00	13.50%	1023.00	11-02-2012
10	257 / 2011—12 परिसदन	में0 ड्रीम फर्निचर नाला रोड पटना	3	209 / 14. 12.11	वेड साईड टेबुल	3	2370	7,110.00	13.50%	960-00	11-02-2012
11	263 / 2011—12 परिसदन	में0 फैशन फोम सेन्टर अजाद मार्केट, चौखण्डी सासाराम	7	6855 / 22. 12.11	भेलवेट फोम	60	170	10,200.00	5.00%	510.00	17-03-2012

12	263 / 2011–12 परिसदन	मैं0 फैशन फोम सेन्टर अजाद मार्केट, चौखण्डी सासाराम	8	4768 / 17. 12.11	फोम	4	1175	4,700.00	5.00%	235.00	17-03-2012
13	263 / 2011–12 परिसदन	मैं0 फैशन फोम सेन्टर अजाद मार्केट, चौखण्डी सासाराम	9	4769 / 17. 12.11	फोम	12	381	4,572.00	5.00%	229-00	17-03-2012
14	263 / 2011–12 परिसदन	मैं0 फैशन फोम सेन्टर अजाद मार्केट, चौखण्डी सासाराम	10	4770 / 17. 12.11	फोम	12	219	2,628.00	5.00%	131.00	17-03-2012
15	263 / 2011–12 परिसदन	मैं0 फैशन फोम सेन्टर अजाद मार्केट, चौखण्डी सासाराम	11	4771 / 17. 12.11	फोम	1	1900	1,900.00	5.00%	95	17-03-2012
16	263 / 2011–12 परिसदन	मैं0 सासाराम फर्निचर वर्क्स आरा गुमटी सासाराम	22	X / 22.12. 11	ड्रेसिंग टेबुल	2	3000	6,000.00	13.50%	810	17-03-2012
17	263 / 2011–12 परिसदन	मैं0 न्यू स्वामी इलेक्ट्रीकल्स जी0 टी0 रोड, सासाराम	27	329 / 22. 12.11	घंटी	5	210	1,050.00	13.50%	142.00	17-03-2012

18	267/2011–12 शीर्ष 2202	में0 रोहतास स्पोर्टस एण्ड एडुकेशन सरलायर कम्पनी सराय सासाराम	11	315/8.11.11	टी0 सील्ल आफिसियल	35	150	5,250.00	5.00%	263.00	29-03-2012
19	267/2011–12 शीर्ष 2202	में0 रोहतास स्पोर्टस एण्ड एडुकेशन सरलायर कम्पनी सराय सासाराम	12	314/8.11.11	तदैव	100	100	10,000.00	5.00%	500	29-03-2012
20	107 / 2011–12	मे0 विदुषी इन्टरप्राईजेज फ्रेजर रोड, पटना	57	68/14.9.09	जेनरेटर मास्टर	1	4330	4,330.00	5.00%	217.00	17-08-2011
21	107 / 2011–12	में0 आफसेट प्रिन्टरर्स जी0 टी0 रोड, सासाराम	56	214/09.09.09	फोटो स्टेट पेपर	9	195	1,755.00		0	
					गैस टोनर	14	195	2,730.00		0	
					गैस टेनर	5	1125	5,625.00		0	
								10,110.00	5.00%	505.5	17-08-2011
22	259 / 2011–12	फिक्सल सर्विस नौर्थ अंक रोड, गया	5	401/10.12.11	एच0 पी0 स्केनर मॉडल 3110	1	10500	10,500.00	13.50%	1418.00	25-02-2012

23	259 / 2011–12	एस. के. आफसेट प्रिंर्टस जी0 टी0 रोड, सासाराम	7	11 / 27.10. 11	टोनर, कागज, लिफाफा		4	43,000.00	5.00%	2150	29-02-2012
24	75 / 2011–12	तदैव	95	587 / 26.3. 11	88 ए एच0 पी0 कारटेज	3	3460	10,380.00		0	
					कारटेज	1	2850	2,850.00		0	
					कारटज 1020 ए	1	3979	3,979.00		0	
					ए / 4 पेपर	10	155	1,550.00		0	
					स्एपलर पीन	1	6	6.00		0	
								18,765.00	4.00%	750.6	14-07-2011
25	262 / 2010–11	मे0 आसरा सर्विस टाईप स्वीकृति कम्पलेक्स, पटना	2	—	रिपोर्टकार्ड की छपाई	510 पीस		48,500.00	5.00%	2425	
26	207 / 2011–12	न्यू अग्रवाल प्रेस जी0टी0 रोड, सासाराम	39	18.10.2011	ए / 4 कागज	20 पैकेट	155	3,100.00		0	
					टोनर			3,460.00		0	
								6,560.00	5.00%	328	11-01-2012

27	207 / 2011—12	न्यू अग्रवाल प्रेस जी0टी0 रोड, सासाराम	40	15.11.2012	सिंगल पेपर	15 पैकेट	185	2,775.00	5.00%	138.75	11-01-2012
28	299 / 2011—12	एस. के. आफसेट प्रिंर्टस जी0 टी0 रोड, सासाराम	1	186 / 8.6.09	बुकलेट	1000 पीस	25	25,000.00		0	
					सेन्चुरी ए / 4 पेपर	10 पैकेट	120	1,200.00		0	
								26,200.00	5.00%	1310	21-03-2012
29	325 / 2011—12	न्यू अग्रवाल प्रेस जी0टी0 रोड, सासाराम	24	10.12.2012	स्टेपलर एवं अन्य स्टेशनरी समान	—	—	18,850.00	5.00%	942.00	31-03-2012
30	325 / 2011—12	न्यू अग्रवाल प्रेस जी0टी0 रोड, सासाराम	24	20.02.2012	कंटीजेन्ट रजिस्टर एवं अन्य —4	—	—	4,870.00	5.00%	244.00	31-03-2012
31	130 / 2011—12	न्यू अग्रवाल प्रेस जी0टी0 रोड, सासाराम	21	21.07.2011	ए / 4 पेपर एवं अन्य	—	—	3,725.00	5.00%	186.00	

32	325 / 2011—12	मैं0 तारा प्रिटिंग एण्ड स्टेशनरी सासाराम	25	01.02.2012	अनुपस्थिति पंजी एवं अन्य 10 स्टेशनरी समान	—	—	4,410.00	5.00%	221.00	31-03-2012
33	325 / 2011—12	एस के ऑफसेट प्रिर्टस जी0 टी0 रोड सासाराम	15	15 / 27.10.11	ए / 4 कागज एवं अन्य स्टेशनरी	—	—	12,150.00	5.00%	608.00	31-03-2012
										47554.00	

परिशिष्ट "ट" कंडिका 15 से संबंधित					
31.3.12 को रोकड़ पुस्त में संवरण शेष के रूप में रू0 11814232.07 कोषागार में जमा :—					
क्रम सं0	मद का नाम	1.4.11 का प्रारम्भण शेष	31.3.12 का संवरण शेष	20.6.13 अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि का संवरण शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	अकस्मिकता	87,40,092.30	87,40,092.30	87,40,092.30	
2	सरकारी पावती	9,56,971.99	9,96,571.99	34,37,784.99	
3	नक्सा बिक्री	1,485.00	39,250.00	29,100.00	
4	परिवार कल्याण	9,603.56	10,023.56	9,603.56	
5	विकास	19,09,832.00	19,09,832.00	19,09,832.00	
6	निर्वाचन	1,10,531.92	1,10,531.92	1,15,931.92	
7	अजादी के 50 वीं वर्षगाड	7,670.30	7,670.30	7,670.30	
8	8475 भू हदवन्दी	260.00	260.00	260.00	
		1,17,36,447.07	1,18,14,232.07	1,42,50,275.07	

परिशिष्ट "ठ"						
कंडिका 17 से संबंधित						
वर्ष 2011–12 में असमायोजित अस्थाई अग्रिम का ब्यौरा :–						
क्रम सं0	पंजी संख्या	पंजी का पेज नम्बर	अग्रिम लेने वाले व्यक्ति का नाम, पदनाम	अग्रिम का उदेश्य	अग्रिम की राशि	भुगतान तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	80	58	श्री सुनिल कुमार	पटना जाने हेतू	500.00	19-01-2012
2	80	86	श्री दिलीप कु0 वर्मा	स्वंत्रता दिवस पर	15,000.00	31-03-2012
3	80	101	श्री राजीव रंजन, सहायक नाजिर	सामग्री आपूर्ति हेतू	3,315.00	23-02-2012
4	80	104	श्री संजिव कुमार, शारिरीक शिक्षा	सास्कृतिक कार्यक्रम हेतू	1,00,000.00	26-03-2012
					1,18,815.00	